अध्यक्ष महोदय

2462
19/6/04

असंशोधित

17 JUN 2004

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

वि० सं० मु० (एस० ए०) 85—मोनो—500—19-3-2002—,

डॉ० विनोद कुमार यादवेन्दु : महोदय, कोषागार पदाधिकारी के यहां भी पदाधिकारी के स्थानान्तरण आदेश के बाद पत्र चला जाता है कि ये कोई वित्तीय कार्य नहीं करेंगे ?

श्री भोला प्रसाद सिंह,उपाध्यक्ष : महोदय, जिस प्रश्न पर सरकार जवाब दे रही है, उस प्रश्न में संबंधित पदाधिकारी, उपाध्यक्ष का स्थानान्तरण हुआ है । जिस समय उन्हें स्थानान्तरण की प्रति प्राप्त हुई, नैतिकता यही कहती है कि जो आने वाले पदाधिकारी होंगे, उनके लिए वे सारे कार्य छोड़ दिये जायं लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : इसी आलोक में हमने आदेश दिया है ।

श्री भोला प्रसाद सिंह,उपाध्यक्ष : महोदय, आपने आदेश दिया है, सत्र चल रहा है, यह बहुत ही संवदेनशील मामला है, सरकार की लाठी उनकी पीठ पर होनी चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए.....

अध्यक्ष : मैंने आदेश दिया है ।

उपाध्यक्ष : इसी सत्र में माननीय मंत्री जाँच कराकर सदन को सूचित करें और अभी इसे स्थगित रखा जाय ।

अध्यक्ष : स्थगित नहीं होगा । सदन को सूचित कर देंगे डी०एम० या आयुक्त से जाँच करा करके एवं सदन को प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-४८७

श्री रमई राम,मंत्री : खंड-१ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-२ उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अंचल अधिकारी, कोईलवर के प्रतिवेदनानुसार अंचल कोईलवर भूमि बंदोबस्ती अभिलेख संख्या-१०/०२-०३ द्वारा गंगा शर्मा एवं अन्य के नाम पर मौजा श्रीपालपुर थाना नं० ३२ खाता नं०-१८३ खेसरा नं०-३२८, रकवा ०.२६ एकड़ भूमि की बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है और बंदोबस्त भूमि पर पर्चाधारी का दखल कब्जा है ।

खंड-३ खंड-२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री रमई राम,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने जिस बात की चर्चा की है, जिसमें श्री यादव जी का जमीन पर दखल कब्जा है लेकिन उसी जमीन को दूसरे नाम से किया गया है, ऐसी बात नहीं है । वह जमीन दूसरे खाता,खेसरा की जमीन है, दूसरे थाना की जमीन है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-४८८

(इस अवसर पर प्रश्नकर्ता सदस्य सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-४८९

श्री अवध बिहारी चौधरी,मंत्री : खंड-१ उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-२ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पत्रांक-१८१ दिनांक १२.४.०३ के साथ संलग्न दैनिक समाचार पत्र "आज" में दिनांक ०७.०७.०२ को प्रकाशित समाचार के संबंध में विस्तृत जाँच करायी गयी । जांचोपरान्त तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राधे श्याम बिहारी सिंह तत्कालीन जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने कार्यकाल दिनांक ३०.६.९८ से १२.११.९९ के बीच किरासन तेल का न तो दर निर्धारण आदेश पारित किया गया है और न ही दर में कोई बढ़ोतरी की गई है ।

खंड-३ उपर्युक्त खंड-२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री राजन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्री आर०एस०वी०सिंह, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध किरासन तेल में दस पैसे कीमत की बढ़ोत्तरी कर लाखों रूपया निजी हित में प्राप्त करने के संबंध में अप्रील, २००३ को मैंने पत्र लिखा था । खाद्य आपूर्ति विभाग पत्र प्रप्ति की सूचना सितम्बर, २००३ में दी लेकिन आजतक उसपर कार्रवाई की सूचना से मुझे अवगत नहीं कराया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि श्री आर०एस०वी० सिंह वर्त्तमान समय में मुंगेर के जिला पदाधिकारी हैं । इसके पूर्व श्री सिंह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य लघु उद्योग कौरपोरेशन, निर्यात निगम आदि स्थानों में रहे हैं और उन स्थानों में भी सरकारी राशि के गबन संबंधी मामला लंबित है । श्री सिंह जिन-जिन विभागों में कार्यरत रहे, उनके कार्यों की जांच हेतु विधान-सभा की समिति बनायी जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो सके ।

अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है, आप जरा सुनिए तो । माननीय सदस्य श्री राजन तिवारी जी, माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आपने जो पत्र लिखा था, वह प्राप्त हुआ और उसकी जांच करायी गयी । जब वे किशनगंज में थे दिनांक ३०.०६.९८ से १२.११.९९ के बीच, इस बीच में कोई आदेश उन्होंने कीमत बढ़ोत्तरी का नहीं दिया । यह इन्होंने जांच कराकर रिपोर्ट दिया है और इससे संबंधित और कोई पूरक हो तो कहें ।

श्री राजन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, किरासन तेल में दस पैसे की बढ़ोत्तरी करके लाखों रूपये का गबन इन्होंने किया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि नहीं किया । आपके पास कोई तथ्य है ?

श्री राजन तिवारी : किया है महोदय, मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच विधान-सभा की कमिटी बनाकर करायी जाय ।

अध्यक्ष : ऐसे नहीं, तथ्य अगर आपके पास हो.....

श्री राजन तिवारी : महोदय, मेरे पास तथ्य है । मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को चैलेंज देता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप किससे जाँच कराये ।

श्री अवध बिहारी चौधरी,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न किये गये हैं और सरकार को जो सूचना मिली है, उसके आधार पर मैंने आपके माध्यम से जबाब दिया है । महोदय, माननीय सदस्य को अगर जबाब से संतुष्टि नहीं हैं तो महोदय मैंने पूर्व में भी पूर्णियां के जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, को लिखा गया था और उसके अलावे भी अगर माननीय सदस्य अन्य से जाँच कराना चाहते हैं, या तो विभाग के सेकेट्री से कहें, नहीं तो महोदय पूर्णियां के जो कमिश्नर हैं, उससे जांच करा देते हैं ।

अध्यक्ष : आप किससे जांच कराना चाहते हैं कमिश्नर या खाद्य आपूर्ति आयुक्त से ।

श्री जगदीश शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य का जो पत्र था और जो आरोप लगाये गये थे , वह तत्कालीन जिला पदाधिकारी के खिलाफ था तो उन आरोपों की जाँच माननीय मंत्री ने किस पदाधिकारी से कराया, यह जानना चाहते हैं ।

श्री अवध बिहारी चौधरी,मंत्री : महोदय, विभाग के स्तर पर जो राज्यस्तरीय बैठक होती है, उसमें सभी पदाधिकारी आये हुए थे और उनसे विस्तृत जानकारी ली गयी और स्पेसिफिक प्रश्न जो वहाँ के तत्कालीन समाहर्त्ता थे, उनके पीरियड में लाखों- करोड़ों रूपया का उगाही किया गया किरासन तेल का दर बढ़ाकर । महोदय, मैंने कहा कि ३०.६.९८ से १२.११.९९ के बीच में जो वहाँ कलक्टर थे, उनके समय में किरासन तेल के दर में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गयी है । यह मैंने बतलाया ।

अध्यक्ष : आप किससे जांच कराना चाहते हैं ? आप इसको कन्कलुजन में लाइए ।

श्री नरेंद्र सिंह : महोदय, इसकी जांच कमिश्नर, भिजिलेंस से करा दी जाय ।

श्री अवध बिहारी चौधरी,मंत्री : महोदय, सरकार तैयार है भिजिलेंस कमिश्नर से जाँच कराने के लिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, बात समाप्त हो गयी ।

प्रश्नोत्तर-काल समाप्त । जिन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हों, उन्हें सभा-पटल पर रख दिये जायें ।